न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 33/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

– आवेदक–

बनाम

1. श्री दुर्गालाल सैनी उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप सैनी मैसर्स सैनी आईस फैक्ट्री, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, रामनगर कॉलोनी, दौसा निवासी सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, रामनगर कॉलोनी, दौसा।

– अभियुक्त–

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक:–16.01.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/2014/779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि दिनांक 26.06.2018 को प्रातः 11:30 बजे मैसर्सः– सैनी आईस फैक्ट्री, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, रामनगर कॉलोनी, दौसा निवासी सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, रामनगर कॉलोनी जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री दुर्गालाल सैनी उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप सैनी उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विकेता के निर्माण स्थल पर डीप फ्रीज में 180 आईस केण्डी (रेड कलर) 50 ग्राम वजनी रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इसमे से 24 पीस आईस केण्डी X 50 ग्राम नमूने की जांच हेतु खरीदी। जिसकी कीमत 48 रूपये नकद देकर माल खरीद रसीद प्राप्त किया।

यह है कि खरीदशुदा आईस केण्डी (रेड कलर) को साफ सूखी खाली भगोनी में खरीदकर एवं पिघलाकर चार बोतलो में बराबर–बराबर डालकर 24–24 बूंद फार्मलिन की डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया एवं लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा बोतलो पर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

चिपकाकर बोतलो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर बोतलो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1932 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलो को चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील्ड बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 27.06.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

यह है कि नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 27.06.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 28.06.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ आईस केण्डी (रेड कलर) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1066/एक्ट/2018/1164 दिनांक 11.07.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आईस केण्डी (रेड कलर) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आईस केण्डी (रेड कलर) में **Total sugar expressed as Surcose** 8 % पाया गया है जो कि 10 % से कम नहीं होना चाहिये था। इस कारण से यह खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त श्री दुर्गालाल सैनी पुत्र श्री रामप्रताप सैनी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मापदण्डो की जानकारी के अभाव में भूलवश ऐसा हुआ है। दोबारा यह गलती नहीं दोहरायी जायेगी। प्रथम बार जानकारी के अभाव में हुई गलती के लिये कम से कम जुर्माना लगाने की कृपा करे।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्र0 सं0 : 33/2018 एफ एस एस एक्ट</u>

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. /1066/एक्ट/2018/1164 दिनांक 11.07.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ आईस केण्डी (रेड कलर) का नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ आईस केण्डी (रेड कलर) सबस्टैण्डर्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री दुर्गालाल सैनी उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप सैनी मैसर्स सैनी आईस फैक्ट्री, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, रामनगर कॉलोनी, दौसा निवासी सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, रामनगर कॉलोनी, दौसा पर 2,000/–(अक्षरे दो हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 16.01.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 121-23

दिनांकः– 18 01.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री दुर्गालाल सैनी उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री रामप्रताप सैनी मैसर्स सैनी आईस फैक्ट्री, सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, रामनगर कॉलोनी, दौसा निवासी सेन्ट मेरी स्कूल के सामने, रामनगर कॉलोनी, दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा